रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1376] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2016/ज्येष्ठ 13, 1938
No. 1376] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2016/JYAISTHA 13, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2016

का.आ. 1972(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में स्थित है तथा केन्द्रीय भारतीय वन भूक्षेत्र के जैविक और वानस्पतिक गुणों से युक्त 1197.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है ;

और, अभयारण्य में दो नदियां अर्थात बामनेर और बियरमा अपवाहित होती हैं । अभयारण्य में दो मुख्य नदी तंत्र गंगा और नर्मदा स्वयं जल विभाजक करती हैं । बामनेर और बियरमा उत्तर में बहती है और केन-बेतवा नदी से मिलती है और नदिका डोंगर गांव श्रेणी के दक्षिणी भाग जाती है, दक्षिण में बहती हुई नर्मदा से मिलती हैं ;

और, अभयारण्य के अधिकतर भाग नरसिंहपुर ज़िला में दक्षिणी भाग के अंतर्गत अधिक और कम समतल क्षेत्र है, अभयारण्य में अधिकतर भूभाग पर्वतीय और विरल वृक्षों के साथ घासभूमि के सवाना प्रकार और झाड़-झंखाड़ के सघन अधिक नहीं हैं ;

और, अभयारण्य में प्रचुर जैव-विविधता है और रॉगर और पवर वर्गीकरण के अनुसार श्रेणी "सी6 दक्कन प्रायद्वीप उच्चभूमि जोन" में वर्गीकृत है। पुष्प-विषयक विविधता जिसमें वृक्ष प्रजातियों (टिक, साजा, अर्जुन भिरई, बेल, ऑनला आदि), जड़ी-बूटी (अलट्रनेनद्रा एसपी, अंड्रोग्रेपिस एसपी, एक्रांथस एसपी, अमरांथस एसपी आदि) और झाड़ी प्रजातियां (लानटाना एसपी, क्लोटॉरपिस एसपी), आरोहक (क्रिपटोलेपिस बुछाननी, बूटी सुपरबा, कोम्ब्रेटम डेक्कड्रम, आदि) और घासें (एनड्रोपोगन एसपी, क्रिसोपोगन एसपी, हेट्रोपोगन एसपी, कनाइनडन एसपी, सनकरस एसपी, आदि) और बांस प्रजातियां (डेंड्रोक्लेमस स्ट्रिक्टस और बैमबूसा अरुनदिनसिया) सम्मिलित हैं।

और, जीव-जन्तु जैव विविधता मांसाहारी में पैंथर, रीछ, जंगली कुत्ता, लकड़बग्घा, भारतीय भेड़िया, भारतीय लोमड़ी, सियार और सांभर, नीलगाय, चिंकारा, चीतल, काला हिरण (परिसर में) और बनैला सूअर शाकाहारी में, पक्षियों (उत्तरी सीखपर, सुरमल, लगलग, जांघिल, ब्लैक इबीस आदि), मछली (चना एसपी, बारबियो एसपी, डालियो एसपी, लाबियो एसपी आदि), सरीसृप (मगरमच्छ, नदी रामानंदी कछुआ, ब्लड गुआना) और नौरादेही अभयारण्य में उभयचर की विभिन्न प्रजातियां अभिलिखित हैं।

और, अभयारण्य के चारों ओर 71 ग्रामों और वनों के अधीन पश्चिम और उत्तर में दक्षिण सागर प्रभाग, पूर्व और उत्तर में दामोह प्रभाग और दक्षिण में नरसिंहपुर प्रभाग आता हैं। अभयारण्य के पूर्व में बिक्रमपुर व्यवधान के ऊपर लगभग 23 किलोमीटर के साथ दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग-12 की ओर जाता है और बाजार केन्द्र जैसे रहेली, दियोरी और घराकोटा (सागर ज़िला), दामोह, तेंडुखेड़ा और तारादेई (दामोह ज़िला) और बरमन, नरसिंहपुर (नरसिंहपुर ज़िला) के चारों ओर है।

और, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार लगभग 291.10 वर्गकिलोमीटर क्षेत्र को मिलाकर नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक का क्षेत्र है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन मध्य प्रदेश के सागर, दामोह और नरसिंहपुर जिलों में 71 ग्रामों तक फैला हुआ है।

(3) प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध I** पर उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ सीमा विवरण क्रमशः **उपाबंध II** पर उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई ; और

(x) लोक निर्माण विभाग,

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के

स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 15, 21, 27, 32 और 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, मजबूत करना और नई सड़कों का सन्निर्माण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं |

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।

परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणीयों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य

सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है | मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईयां –**

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों के स्थापना की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी |

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी |

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी । तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना विद्यमान विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नए बृहत जल विद्युत और थर्मल परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रार्व और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार जारी रह सकेंगे : परंतु यह और कि विद्यमान आरा मीलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी समापन अवधि के पश्चात नहीं किया जाएगा ।
(10)	मछली पकड़ना ।	सभी जल स्त्रोतों में वाणिज्यिक मछली पकड़ने पर पूर्ण रोक होगा ।
(11)	भूमि निकालने का मैदान ।	नए भूमि निकालने के मैदानों को बनाने का प्रतिषेध विद्यमान भूमि निकालने के मैदानों का क्रियान्वयन इस शर्त के अधीन किया जा सकता है कि खुले में आग जलाने की कोई अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।
(12)	बकरी पालन ।	बकरी पालन का प्रतिषेध ।
(13)	पोलीथीन बैग का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(14)	पहाड़ी ढलानों और नदी के किनारों का संरक्षण ।	समिति द्वारा अन्यथा अनुज्ञात के सिवाए कोई संनिर्माण क्रियाकलाप पहाड़ी पर एक से दस ढलान तक और किसी नदी और प्राकृतिक नाले के 100 मीटर तक भी नहीं किया जाएगा ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(15)	होटल और विश्राम स्थलों का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
(16)	सन्निर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा : परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी । (ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे । (ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
(17)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्ययोजना निर्देशों का पालन किया जाएगा |
(18)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा ।

		(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(19)	विद्युत केबलों, पारेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	(i) भूमिगत केबल लगाने का संवर्धन।
(20)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ;
(21)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण यथा लागू अनुसार होंगे।
(22)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(23)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(24)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
(26)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(27)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
(28)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(29)	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(30)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(31)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(32)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(33)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(34)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(35)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(36)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सोलर लाइट आदि का बढ़ावा दिया जाए।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1.	आयुक्त, सागर-	अध्यक्ष;
2.	सीसीएफ, सागर सर्किल-	सदस्य;
3.	कलक्टर, सागर, दामोह और नरसिंहपुर-	सदस्य;
4.	डीएफओ/सीएफ-प्रादेशिक संभाग, साऊथ सागर, दामोह और नरसिंहपुर-	सदस्य;
5.	सीईओ-जिला पंचायत सागर, दामोह और नरसिंहपुर-	सदस्य'
6.	ईई-लोक निर्माण विभाग, दामोह और नरसिंहपुर-	सदस्य;
7.	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि-	सदस्य;
8.	मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ-	सदस्य;
9.	ईई-पीएचई सागर, दामोह और नरसिंहपुर -	सदस्य;
10.	खनन अधिकारी-सागर, दामोह और नरसिंहपुर -	सदस्य;
11.	ईई-सिचाई सागर, दामोह और नरसिंहपुर -	सदस्य;
12.	पर्यावरण संरक्षण की ओर रुझान रखने वाला कोई भी प्रतिष्ठित कार्यकर्ता-	सदस्य;
13.	डीएफओ, नौरादेही वन्यजीव संभाग, सागर-	सदस्य-सचिव

6. निर्देश शर्तें –

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/72/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची के साथ भौगोलिक निर्देशांक

क्र. सं.	प्रभाग के नाम	ग्राम के नाम	ज़िला	देशांतर	अक्षांश
1	नौरादेही	खजिरिया	सागर	79°21'12.66"पू	23°40'44.46"उ
2	नौरादेही	बेरखारी	सागर	79°16'34.41"पू	23°42'44.71"उ
3	नौरादेही	महुआसेमरा	सागर	79°14'54.72"पू	23°41'7.80"उ
4	नौरादेही	तालसेमरा	सागर	79°14'27.65"पू	23°40'35.14"उ
5	नौरादेही	लातेल	सागर	79°13'52.77"पू	23°39'58.78"उ
6	नौरादेही	बालेह	सागर	79°13'4.77"पू	23°38'38.22"उ
7	नौरादेही	सलरा	सागर	79°13'18.67"पू	23°37'56.85"उ
8	नौरादेही	गुदाखुर्द	सागर	79°11'47.58"पू	23°37'19.93"उ
9	नौरादेही	गुदाकलान	सागर	79°11'17.51"पू	23°37'53.04"उ
10	नौरादेही	गोपालपुरा	सागर	79°10'37.07"पू	23°37'21.43"उ
11	नौरादेही	बगासपुरा	सागर	79° 9'44.13"पू	23°36'25.08"उ
12	नौरादेही	छिरारी	सागर	79° 8'46.41"पू	23°35'2.41"उ
13	नौरादेही	हिनोती	सागर	79°10'55.36"पू	23°33'36.93"उ

14	नौरादेही	हरदुआ	सागर	79°10'16.39"पू	23°33'16.44"उ
15	नौरादेही	बेनहारी	सागर	79° 9'13.08"पू	23°33'36.32"उ
16	नौरादेही	चनगुवान	सागर	79° 9'44.65"पू	23°33'5.27"उ
17	नौरादेही	सिमरिया	सागर	79° 9'11.33"पू	23°32'19.31"उ
18	नौरादेही	सरखेड़ा	सागर	79° 7'54.86"पू	23°31'24.29"उ
19	नौरादेही	दुहरिया मोहली	सागर	79° 7'47.56"पू	23°30'34.27"उ
20	नौरादेही	मोकला	सागर	79° 5'30.41"पू	23°28'59.12"उ
21	नौरादेही	कुसमी	सागर	79° 5'49.74"पू	23°27'0.51"उ
22	नौरादेही	सुना	सागर	79° 7'8.47"पू	23°27'54.25"उ
23	नौरादेही	नेगुवान	सागर	79° 8'19.91"पू	23°29'43.91"उ
24	नौरादेही	कथोटिया	सागर	79° 8'9.81"पू	23°27'52.69"उ
25	नौरादेही	हरदुली	सागर	79° 6'6.34"पू	23°16'53.67"उ
26	नौरादेही	जमुनिया	सागर	79° 4'33.41"पू	23°15'17.49"उ
27	नौरादेही	मझगुवान	सागर	79° 4'9.13"पू	23°14'41.07"उ
28	नौरादेही	खानपुर	सागर	79° 3'23.88"पू	23°13'44.17"उ
29	नौरादेही	सररा	सागर	79° 6'30.90"पू	23°18'38.95"उ
30	नौरादेही	बीना	सागर	79° 5'26.67"पू	23°21'52.22"उ
31	नौरादेही	ईश्वरपुर	सागर	79° 6'28.66"पू	23°21'8.77"उ
32	नौरादेही	पुरेना	सागर	79° 5'48.19"पू	23°19'25.84"उ
33	नौरादेही	सररा दलपत	सागर	79° 5'33.41"पू	23°18'44.08"उ
34	नौरादेही	कुरहया	सागर	79° 6'8.96"पू	23°18'10.62"उ
35	नौरादेही	चिरई	दामोह	79°22'33.10"पू	23°38'42.65"उ
36	नौरादेही	मंकागांव	दामोह	79°21'56.57"पू	23°37'4.65"उ
37	नौरादेही	हिनोती	दामोह	79°19'30.81"पू	23°35'22.10"उ
38	नौरादेही	मुरई	दामोह	79°20'15.44"पू	23°34'28.28"उ
39	नौरादेही	अमतिकलान	दामोह	79°20'6.53"पू	23°33'47.30"उ
40	नौरादेही	खागर	दामोह	79°21'34.87"पू	23°36'35.58"उ

41	नौरादेही	मौजाकलान	दामोह	79°21'6.19"पू	23°35'44.13"उ
42	नौरादेही	सुहेला	दामोह	79°22'54.05"पू	23°34'41.98"उ
43	नौरादेही	जमुनिया	दामोह	79°24'29.74"पू	23°35'6.12"उ
44	नौरादेही	सोमखेड़ा	दामोह	79°24'15.68"पू	23°34'4.79"उ
45	नौरादेही	दुहली	दामोह	79°22'0.99"पू	23°31'19.30"उ
46	नौरादेही	गौरी	दामोह	79°21'59.72"पू	23°31'28.68"उ
47	नौरादेही	सुरादेही	दामोह	79°22'9.97"पू	23°30'50.62"उ
48	नौरादेही	मगाबिहेर	दामोह	79°22'5.71"पू	23°30'34.03"उ
49	नौरादेही	नयाखेड़ा	दामोह	79°22'12.41"पू	23°30'22.03"उ
50	नौरादेही	झापान	दामोह	79°22'17.34"पू	23°30'9.41"उ
51	नौरादेही	सिहरी	दामोह	79°21'47.23"पू	23°27'20.99"उ
52	नौरादेही	धाना	दामोह	79°19'43.62"पू	23°25'36.86"उ
53	नौरादेही	चीमा धाना	दामोह	79°20'24.18"पू	23°25'36.94"उ
54	नौरादेही	चिखली	दामोह	79°19'51.78"पू	23°19'44.88"उ
55	नौरादेही	बन्सी	दामोह	79°20'21.43"पू	23°19'37.27"उ
56	नौरादेही	पिदराई	दामोह	79°19'56.58"पू	23°18'57.17"उ
57	नौरादेही	कोपादेओरी	दामोह	79°20'33.73"पू	23°17'46.88"उ
58	नौरादेही	तारादेही	दामोह	79°20'57.92"पू	23°17'18.42"उ
59	नौरादेही	झमरा	दामोह	79°19'20.02"पू	23°15'13.12"उ
60	नौरादेही	पिपला	दामोह	79°18'48.89"पू	23°16'50.68"उ
61	नौरादेही	खनतारा	दामोह	79°18'38.85"पू	23°17'41.53"उ
62	नौरादेही	सरसबागली	दामोह	79°19'23.52"पू	23°16'1.93"उ
63	नौरादेही	छोरखमारिया	दामोह	79°19'39.43"पू	23°16'29.97"उ
64	नौरादेही	सररातुदा	दामोह	79°19'10.88"पू	23°16'0.39"उ
65	नौरादेही	कोटखेड़ा	दामोह	79°19'14.07"पू	23°15'13.19"उ
66	नौरादेही	कोसमदा	दामोह	79°18'57.07"पू	23°14'26.60"उ
67	नौरादेही	रामखिरिया	नरसिंहपुर	79° 9'49.02"पू	23° 5'47.79"उ

68	नौरादेही	बंदरोहा	नरसिंहपुर	79°20'9.62"पू	23° 6'35.24"उ
69	नौरादेही	खापा	नरसिंहपुर	79°20'34.70"पू	23° 7'26.86"उ
70	नौरादेही	मातापुर	नरसिंहपुर	79°21'13.15"पू	23° 7'9.98"उ
71	नौरादेही	विक्रमपुर	नरसिंहपुर	79°21'41.17"पू	23° 8'58.67"उ

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन नौरादेही का मानचित्र

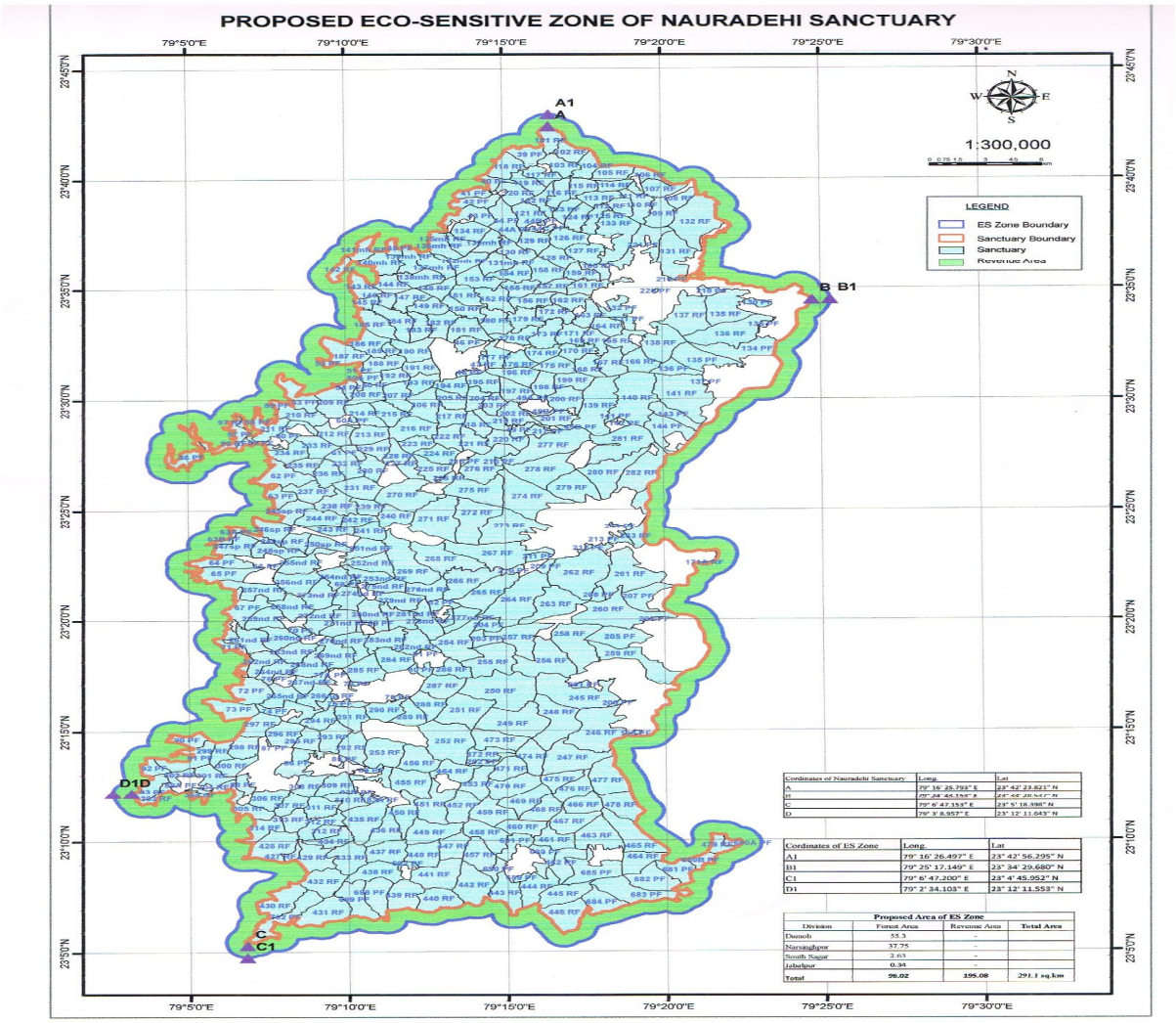

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के भौगोलिक निर्देशांक

दिशा	निर्देशांक	
	देशांतर	अक्षांश
उत्तर (ए)	79⁰16'25.793"पू	23⁰42'23.821"उ
पूर्व (बी)	79⁰24'43.153"पू	23⁰34'28.537"उ

दक्षिण (सी)	79⁰06'47.153"पू	23⁰05'18.398"उ
पश्चिम (डी)	79⁰03'8.957"पू	23⁰12'11.643"उ

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भौगोलिक निर्देशांक

दिशा	**निर्देशांक**	
	देशांतर	**अक्षांश**
उत्तर (ए1)	79°16'26.497"पू	23°42'56.295"उ
पूर्व (बी1)	79°25'17.149"पू	23°34'29.680"उ
दक्षिण (सी1)	79°06'47.200"पू	23° 4'45.952"उ
पश्चिम (डी1)	79° 2'34.103"पू	23°12'11.553"उ

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2016

S.O. 1972(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, Nauradehi Wildlife Sanctuary situated in Sagar, Damoh and Narshingpur Districts of Madhya Pradesh and spread over an area of 1197.04 sq. kms represents the floral and faunal attributes of the Central Indian forested landscape.

And whereas, the sanctuary is drained by two rivers namely Bamner and Bearma. The sanctuary is itself a water divide of two main river systems the Ganga and the Narmada. The Bamner and the Bearma drains the north and joins the Ken-Betwa rivers and the Rivulets that drain the southern part of Dongargaon range, flow south to join the Narmada.

And WhereasS, most parts of the sanctuary are more or less a plain area but in the southern part falling in Narshingpur district, the tract is hilly and most parts of the sanctuary have a savannah type of grassland with sparse trees and not much dense undergrowth.

And whereas, the sanctuary is rich in bio-diversity and classified in category "C6 Deccan Peninsula Central Highland Zone" as per Rogers and Pawar classification. The floral diversity include tree species (Teak, Saja, Arjun, Bhirria, Bel, Aonla etc,), herbs (*Alternendra* sp, *Andrograpis* sp, *Acheranthus* sp, *Amaranthus* sp, etc) and shrubs species (|*Lantana* sp, *Calotropis* sp,) climbers (*Cryptolepis buchanani*, *Butea superba*, *Combretum decandrum*, etc,) and grasses (*Andropogon* sps, *Chrisopogon* sps, *Hetreropogon* sps, *Cyanadon* sp, *Cenchrus* sps, etc,) and bamboo species(*Dendrocalamus strictus* and *Bambusa arundinacea*).

And whereas, the faunal bio-diversity consists of Panther, Sloth Bear, Wild dog, Hyena, Indian Wolf, Indian Fox and Jackal in Carnivores and Sambhar, Nilgai, Chinkara, Cheetal, Black buck (At the peripheries) and wild boar among herbivores, birds (Northern pin-tail, black stork, Wooly necked stork, Painted stork, Black ibis, etc,), fish(*Channa* sps, *Barbeo* sps *Daleo* sps, *Labeo* sps, etc,), reptiles (Marsh Crocodile, River terrapin, Blood guana, etc,) and various species of amphibians that have been recorded in the Nauradehi sanctuary.

And whereas, the sanctuary is surrounded by 71 villages and forests that come under South Sagar division in the West and North, Damoh Division in the East and North and Narshingpur Division in the South. National Highway-12 runs along the south of the sanctuary for about 23 kms upto Bikrampur barrier in the East and surrounded by market hubs like Rehli, Deori and Garhakota (Sagar District), Damoh, Tendukheda and Taradehi (Damoh District) and Barman, Narshingpur (Narsinghpur District).

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Nauradehi Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries, or class of industries, and their operations or processes in the said Eco-sensitive zone;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an average extent of 1 kilometer around the boundary of the Nauradehi Wildlife Sanctuary in the State of Madhya Pradesh as the Nauradehi Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 291.10 square kilometers with an average extent of 1 kilometer around the boundary of Nauradehi Wildlife Sanctuary.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 71 villages falling in Sagar, Damoh and Narshinghpur districts of Madhya Pradesh.

(3) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure I.**

(4) The maps of the Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes and boundary details are appended as **Annexure II.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture

(viii) Madhya Pradesh State Pollution Control Board,

(ix) Irrigation

(x) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 15, 21, 27, 32 and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.

(ii) Widening and strengthening of existing roads,

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.

However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the boundary of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(3) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(4) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(5) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-

sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(6) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(8) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(9) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(10) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(11) **Industrial Units**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture

		of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and thermal projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
10	Fishing	There shall be complete ban on fishing in all the water bodies
11	Trenching ground	Prohibition on establishing new trenching grounds. The existing trenching grounds can be operated subject to the condition that no open burning will be allowed.
12.	Goat Farming	Prohibition on Goat farming.
13.	Use of Plastic bags	Prohibited with immediate effect.
14.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by State Level Committee shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
Regulated Activities		
15.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for

		temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
16	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if any, with the prior permission from the competent authority. (c) However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and upto the boundary of Eco- sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
18.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
19.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(i) Promote underground cabling.
20.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.

21.	Widening and strengthening of existing roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
23.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
24.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
25.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
26.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
27.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
28.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
29.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
30.	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture, fisheries and cattle rearing.	Permitted under applicable laws.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries includi ng village artisans.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted

5. Monitoring Committee:-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Madhya Pradesh , which shall comprise of the following namely:-

1.	Commissioner, Sagar	Chairman
2.	Chief Conservator of Forests, Sagar Circle	Member
3.	Collectors - Sagar, Damoh and Narshingpur	Member
4.	Divisional Forest Officer (DFO)-Territorial Divisions South Sagar, Damoh and Narshingpur	Member

5.	Chief Executive Officer -Zilla Panchayat Sagar, Damoh and Narshingpur	Member
6.	Executive Engineer (Public Works Department), Sagar, Damoh and Narshingpur	Member
7.	One representative of NGO working in the field of environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of one year	*Member*
8.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of one year.	
9.	Executive Engineer (Public Health Engineering), Sagar, Damoh and Narshingpur	Member
10.	Mining Officers- Sagar, Damoh and Narshingpur	Member
11.	Executive Engineer (Irrigation), Sagar, Damoh and Narshingpur	Member
12.	Divisional Forest Officer, Nauradehi Wildlife Division, Sagar	Member-Secretary

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/72/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

LIST OF VILLAGES WITH GEOGRAPHICAL COORDINATES WITHIN THE NAURADEHI ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Name of Division	Name of Village	District	Longitude	Latitude
1	Nauradehi	Khajiriya	Sagar	79°21'12.66"E	23°40'44.46"N
2	Nauradehi	Berkheri	Sagar	79°16'34.41"E	23°42'44.71"N
3	Nauradehi	Mahuasemra	Sagar	79°14'54.72"E	23°41'7.80"N
4	Nauradehi	Talsemra	Sagar	79°14'27.65"E	23°40'35.14"N
5	Nauradehi	Latel	Sagar	79°13'52.77"E	23°39'58.78"N
6	Nauradehi	Baleh	Sagar	79°13'4.77"E	23°38'38.22"N
7	Nauradehi	Salra	Sagar	79°13'18.67"E	23°37'56.85"N
8	Nauradehi	Gudakhurd	Sagar	79°11'47.58"E	23°37'19.93"N
9	Nauradehi	Gudakalan	Sagar	79°11'17.51"E	23°37'53.04"N
10	Nauradehi	Gopalpura	Sagar	79°10'37.07"E	23°37'21.43"N
11	Nauradehi	Bagaspura	Sagar	79° 9'44.13"E	23°36'25.08"N
12	Nauradehi	Chhirari	Sagar	79° 8'46.41"E	23°35'2.41"N
13	Nauradehi	Hinoti	Sagar	79°10'55.36"E	23°33'36.93"N
14	Nauradehi	Hardua	Sagar	79°10'16.39"E	23°33'16.44"N
15	Nauradehi	Benhari	Sagar	79° 9'13.08"E	23°33'36.32"N
16	Nauradehi	Changuwan	Sagar	79° 9'44.65"E	23°33'5.27"N
17	Nauradehi	Simariya	Sagar	79° 9'11.33"E	23°32'19.31"N
18	Nauradehi	Sarkheda	Sagar	79° 7'54.86"E	23°31'24.29"N
19	Nauradehi	Duhariya Mohli	Sagar	79° 7'47.56"E	23°30'34.27"N
20	Nauradehi	Mokla	Sagar	79° 5'30.41"E	23°28'59.12"N
21	Nauradehi	Kusmi	Sagar	79° 5'49.74"E	23°27'0.51"N
22	Nauradehi	Suna	Sagar	79° 7'8.47"E	23°27'54.25"N
23	Nauradehi	Neguwan	Sagar	79° 8'19.91"E	23°29'43.91"N
24	Nauradehi	Kathotiya	Sagar	79° 8'9.81"E	23°27'52.69"N
25	Nauradehi	Harduli	Sagar	79° 6'6.34"E	23°16'53.67"N
26	Nauradehi	Jamuniya	Sagar	79° 4'33.41"E	23°15'17.49"N
27	Nauradehi	Majhguwan	Sagar	79° 4'9.13"E	23°14'41.07"N
28	Nauradehi	Khanpur	Sagar	79° 3'23.88"E	23°13'44.17"N
29	Nauradehi	Sarra	Sagar	79° 6'30.90"E	23°18'38.95"N
30	Nauradehi	Beena	Sagar	79° 5'26.67"E	23°21'52.22"N
31	Nauradehi	Ishwarpur	Sagar	79° 6'28.66"E	23°21'8.77"N
32	Nauradehi	Purena	Sagar	79° 5'48.19"E	23°19'25.84"N
33	Nauradehi	Sarra Dalpat	Sagar	79° 5'33.41"E	23°18'44.08"N
34	Nauradehi	Kurhaya	Sagar	79° 6'8.96"E	23°18'10.62"N
35	Nauradehi	Chirai	Damoh	79°22'33.10"E	23°38'42.65"N

36	Nauradehi	Mankagaon	Damoh	79°21'56.57"E	23°37'4.65"N
37	Nauradehi	Hinoti	Damoh	79°19'30.81"E	23°35'22.10"N
38	Nauradehi	Murai	Damoh	79°20'15.44"E	23°34'28.28"N
39	Nauradehi	Amtikalan	Damoh	79°20'6.53"E	23°33'47.30"N
40	Nauradehi	Khagar	Damoh	79°21'34.87"E	23°36'35.58"N
41	Nauradehi	Maujakalan	Damoh	79°21'6.19"E	23°35'44.13"N
42	Nauradehi	Suhela	Damoh	79°22'54.05"E	23°34'41.98"N
43	Nauradehi	Jamuniya	Damoh	79°24'29.74"E	23°35'6.12"N
44	Nauradehi	Somkheda	Damoh	79°24'15.68"E	23°34'4.79"N
45	Nauradehi	Duhli	Damoh	79°22'0.99"E	23°31'19.30"N
46	Nauradehi	Guari	Damoh	79°21'59.72"E	23°31'28.68"N
47	Nauradehi	Sooradehi	Damoh	79°22'9.97"E	23°30'50.62"N
48	Nauradehi	Mgabiher	Damoh	79°22'5.71"E	23°30'34.03"N
49	Nauradehi	Nayakheda	Damoh	79°22'12.41"E	23°30'22.03"N
50	Nauradehi	Jhapan	Damoh	79°22'17.34"E	23°30'9.41"N
51	Nauradehi	Sihri	Damoh	79°21'47.23"E	23°27'20.99"N
52	Nauradehi	Dhana	Damoh	79°19'43.62"E	23°25'36.86"N
53	Nauradehi	Cheema Dhana	Damoh	79°20'24.18"E	23°25'36.94"N
54	Nauradehi	Chikhli	Damoh	79°19'51.78"E	23°19'44.88"N
55	Nauradehi	Bansi	Damoh	79°20'21.43"E	23°19'37.27"N
56	Nauradehi	Pidrai	Damoh	79°19'56.58"E	23°18'57.17"N
57	Nauradehi	Kopadeori	Damoh	79°20'33.73"E	23°17'46.88"N
58	Nauradehi	Taradehi	Damoh	79°20'57.92"E	23°17'18.42"N
59	Nauradehi	Jhamara	Damoh	79°19'20.02"E	23°15'13.12"N
60	Nauradehi	Pipla	Damoh	79°18'48.89"E	23°16'50.68"N
61	Nauradehi	Khantara	Damoh	79°18'38.85"E	23°17'41.53"N
62	Nauradehi	Sarasbagli	Damoh	79°19'23.52"E	23°16'1.93"N
63	Nauradehi	Chorkhamariya	Damoh	79°19'39.43"E	23°16'29.97"N
64	Nauradehi	Sarratuda	Damoh	79°19'10.88"E	23°16'0.39"N
65	Nauradehi	Kotkheda	Damoh	79°19'14.07"E	23°15'13.19"N
66	Nauradehi	Kosamda	Damoh	79°18'57.07"E	23°14'26.60"N
67	Nauradehi	Ramkhiriya	Narsingpur	79° 9'49.02"E	23° 5'47.79"N
68	Nauradehi	Bandroha	Narsingpur	79°20'9.62"E	23° 6'35.24"N
69	Nauradehi	Khapa	Narsingpur	79°20'34.70"E	23° 7'26.86"N
70	Nauradehi	Matapur	Narsingpur	79°21'13.15"E	23° 7'9.98"N
71	Nauradehi	Vikrampur	Narsingpur	79°21'41.17"E	23° 8'58.67"N

ANNEXURE-II

Eco Sensitive Zone Map-NAURADEHI

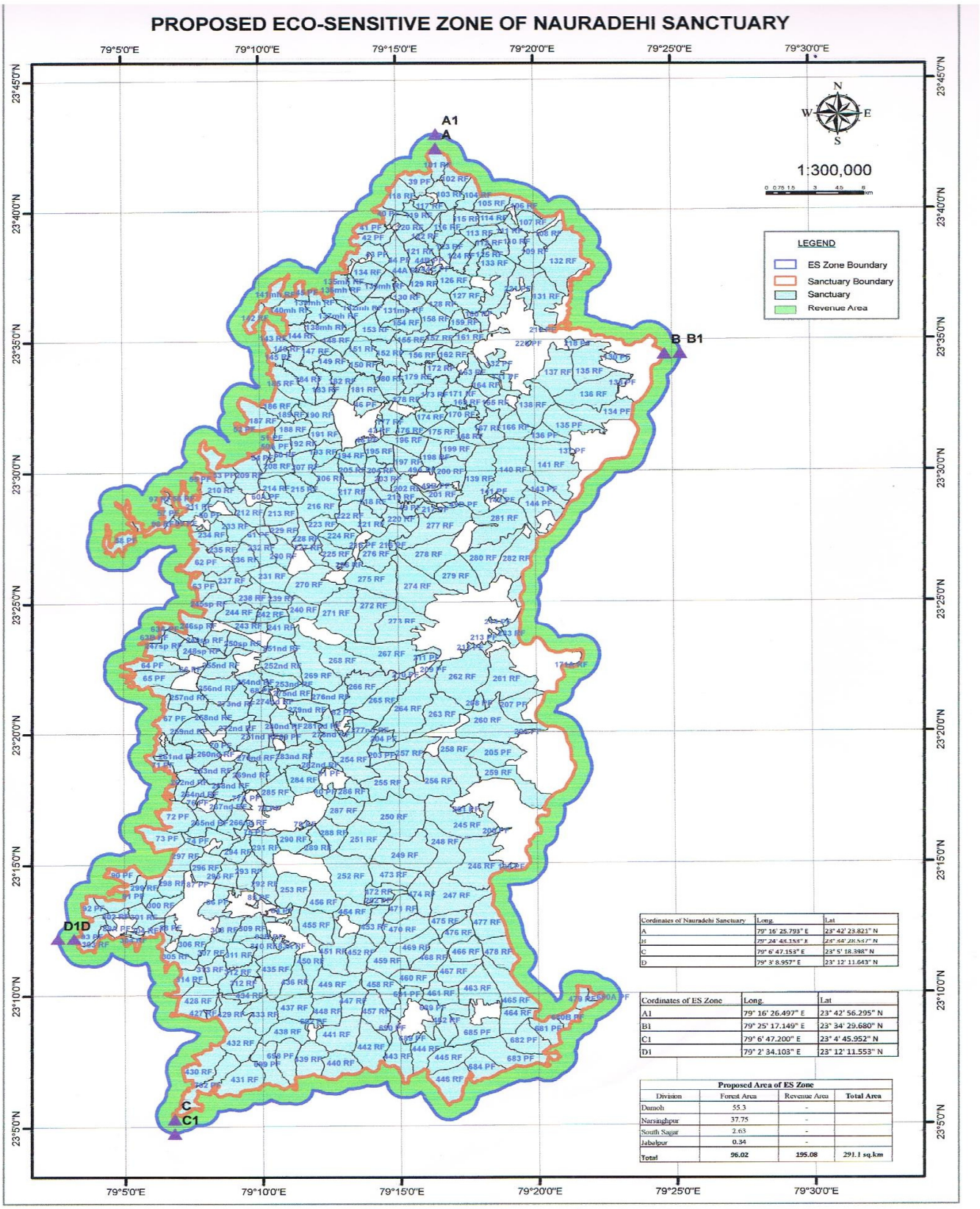

Cordinates of Nauradehi Sanctuary	Long.	Lat
A	79° 16' 25.793" E	23° 42' 23.821" N
B	79° 24' 45.153" E	23° 44' 28.847" N
C	79° 6' 47.153" E	23° 5' 18.398" N
D	79° 3' 8.957" E	23° 12' 11.643" N

Cordinates of ES Zone	Long.	Lat
A1	79° 16' 26.497" E	23° 42' 56.295" N
B1	79° 25' 17.149" E	23° 34' 29.680" N
C1	79° 6' 47.200" E	23° 4' 45.952" N
D1	79° 2' 34.103" E	23° 12' 11.553" N

Proposed Area of ES Zone

Division	Forest Area	Revenue Area	Total Area
Damoh	55.3	-	
Narsinghpur	37.75	-	
South Sagar	2.63	-	
Jabalpur	0.34	-	
Total	96.02	195.08	291.1 sq.km

Geographical Coordinates of the Nauradehi (Wild Life) Sanctuary

Direction	Co-ordinates	
	Longitude	Latitude
North (A)	$79^0$16'25.793"E	$23^0$42'23.821"N
East (B)	$79^0$24'43.153"E	$23^0$34'28.537N"
South (C)	$79^0$06'47.153"E	$23^0$05'18.398"N
West (D)	$79^0$03'8.957"	$23^0$12'11.643"N

Geographical Coordinates of Eco-Sensitive Zone of the Nauradehi Sanctuary

Direction	Co-ordinates	
	Longitude	Latitude
North (A1)	79°16'26.497"E	23°42'56.295"N
East (B1)	79°25'17.149"E	23°34'29.680"N
South (C1)	79°06'47.200"E	23° 4'45.952"N
West (D1)	79° 2'34.103"E	23°12'11.553"N

ANNEXURE-III

PERFORMA OF ACTION TAKEN REPORT: - ECO-SENSITIVE ZONE MONITORING COMMITTEE

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.